कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा
ब्लाक सी–30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन
नया रायपुर (छ0ग0)

क्रमांक– 31 / 14 / आउशि / योजना / 2016 नया रायपुर, दिनांक 08 / 07 / 2016

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त संबंधित शासकीय महाविद्यालय
छत्तीसगढ़।

विषय :– **प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में सत्र 2016–17 से स्ववित्तीय योजना / जनभागीदारी समिति से नवीन विषय / संकाय / पाठयकम प्रारंभ करने बाबत्।**

संदर्भ :– अवर सचिव, उच्च शिक्षा विभाग का पत्र कमांक एफ 3–34 / 2015 / 38–1 नया रायपुर, दिनांक 05.07.2015

-----00-----

कृपया उपरोक्त संदर्भित के द्वारा प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में सत्र 2016–17 से स्ववित्तीय योजना / जनभागीदारी समिति से नवीन विषय / संकाय / पाठयकम प्रारंभ करने की सशर्त अनुमति प्रदान की गई है। पत्र की छायाप्रति संलग्ल कर आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

(डॉ. किरण गजपाल)
संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा, रायपुर (छ0ग0)

पृ.क्र. 32 / 14 / आउशि / योजना / 2016 नया रायपुर, दिनांक 08 / 07 / 2016

प्रतिलिपि :–

1. अवर सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर की ओर संदर्भित पत्र के संबंध में सूचनार्थ।
2. कुलसचिव, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर / बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर / बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर / सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर एवं दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
3. प्राचार्य, समस्त अग्रणी महाविद्यालय, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।

संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा, रायपुर (छ0ग0)

Principal
T.S.S.Govt.College Pathalgaon
Di... (C.G.)

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन,नया रायपुर

क्रमांक एफ 3–34 / 2015 / 38–1 रायपुर, दिनांक 05 / 07 / 2016

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन ,
नया रायपुर।

विशय :– प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में वर्ष 2016–17 से स्ववित्तीय योजना / जनभागीदारी समिति से नवीन विषय / संकाय / पाठ्यक्रम प्रारंभ करने बाबत्।

संदर्भ :– आपकी टीप क्रमांक 14 / आउशि / योजना / 2016, दिनांक 27 / 06 / 2016

प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में वर्ष 2016–17 से स्ववित्तीय योजना / जनभागीदारी समिति से नवीन विषय / संकाय / पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के संबंध में उच्च शिक्षा संचालनालय से प्राप्त प्रस्तावों के परीक्षण हेतु विभागीय स्तर पर गठित चार सदस्यीय समिति की बैठक दिनांक 28 एवं 29 जून, 2016 को सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय अनुसार प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में स्ववित्तीय योजना / जनभागीदारी समिति से नवीन विषय / संकाय / पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति दी जाती है :–

क्र.	महाविद्यालय का नाम	नवीन विषय / संकाय / पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
1	शा.दू.ब.महिला पी.जी. महा., रायपुर	पी.जी.डिप्लोमा ईन योगिक साईन्स	20
		पी.जी.डिप्लोमा ईन गाईडेंस एंड कांउसलिंग	20
2	शा.काव्योपाध्याय हीरालाल महा. अभनपुर जिला रायपुर	डी.सी.ए	40
		पी.जी.डी.सी.ए.	40
3	शा.सुखराम नागे महा.नगरी जिला धमतरी	पी.जी.डी.सी.ए.	30
4	शा.डॉ0वा.वा.पा.कन्या पी.जी. महा. दुर्ग	पी.जी.डी.सी.ए	30
5	शास. महाविद्यालय छुरा, जिला–गरियाबंद	पी.जी.डी.सी.ए.	20
6	शा.दिग्विजय स्वशासी पी.जी. महा.राजनांदगांव	डिप्लोमा एन फायनेंसियल एकाउनटिंग यू.जींग टेली	25
		पी.जी.डिप्लोमा ईन योगा एजूकेशन एण्ड फिलासफी	25
7	शा.शिवनाथ विज्ञान महा. राजनांदगांव	पी.जी.डी.सी.ए.	20

निरंतर......

C1(L93)a

Principal
T.S.S.Govt.College,Pa...lgaon
Distt-Jashpur (C.G.)

क्र.	महाविद्यालय का नाम	नवीन विषय/संकाय/पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
8	शा.महर्षि वाल्मीकी महा. भानुप्रतापपुर जिला कांकेर	डी.सी.ए.	30
		पी.जी.डी.सी.ए	30
9	शास. मा. सा. नवीन कन्या महा. बिलासपुर जिला बिलासपुर	डी.सी.ए.	30
10	शा.पं.मा.रा.सप्रे महा. पेण्ड्रारोड जिला बिलासपुर	पी.जी.डी.सी.ए.	30
11	शा.के.एम.टी. कन्या महा.रायगढ़	पी.जी.डी.सी.ए.	30
12	शास. महाविद्यालय पत्थलगांव जिला जशपुर	डी.सी.ए.	30
13	शा.विजय भूषण सिंह देवी कन्या महा.अम्बिकापुर, जिला सरगुजा	पी.जी.डी.सी.ए	30

उक्त अनुमति निम्न शर्तो के अधीन प्रदाय की जाती है :-

1. स्ववित्तीय योजना के अन्तर्गत जनभागीदारी समिति के माध्यम से उक्त प्राठ्यक्रमों का संचालन होगा ।
2. शैक्षणिक कर्मचारियों की एवं लाईब्रेरी, फर्नीचर तथा उपकरण, कम्प्यूटर आदि की व्यवस्था संस्था को अपने स्वयं के स्त्रोतों से करना होगा, इसके लिये किसी प्रकार का वित्तीय भार शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा, अर्थात राज्य शासन द्वारा भविष्य में किसी प्रकार का आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय हेतु कोई भी अनुदान नहीं दिया जायेगा।
3. शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के आधार पर शासन के निर्धारित मापदण्ड के अनुसार की जावेगी।
4. उक्त पाठ्यक्रम प्रारंभ करने पर आय-व्यय की लेखों का सत्यापन विभागीय अंकेक्षण दल/सी.ए. द्वारा कराया जाकर प्रतिवर्ष उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा ।
5. उक्त पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति के पश्चात संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा विषय/विशेषज्ञ मनोनित किया जा निरीक्षण समिति के अनुशंसा के आधार पर विश्वविद्यालय अपनी संबंद्धता नियमानुसार प्रदान करेगा।

(श्रीमती दुर्गा देवांगन)
अवर सचिव
छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय

Principal
T.S.S.Govt.College, Pathalgaon

C1(L94)8

पृ.कमांक: एफ 3–34/2015/38–1 रायपुर, दिनांक 05/07/2016

प्रतिलिपिः–

1. निज सहायक, मान. मंत्रीजी, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षामंत्रालय, नया रायपुर,
2. मुख्य सचिव के अवर सचिव, छ.ग.शासन, मुख्यसचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर,
3. प्रमुख सचिव, छ0ग0शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, नया रायपुर,
4. संबंधित कलेक्टर जिला..,
5. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय नया रायपुर,
6. क्षेत्रीय अपर संचालक, बस्तर/सरगुजा/बिलासपुर छत्तीसगढ़ ।
7. संबंधित प्राचार्य..,

की ओर सूचनार्थ प्रेषित,

8. कुल सचिव, बस्तर/बिलासपुर/सरगुजा/पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ ।
7. आदेश फोल्डर ।

अवर सचिव

छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय

Principal
T.S.S.Govt.College Pathalgaon
Distt-Jashpur (C.G.)